

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं०/शि०स०/सम्बद्धता/

610

/2013-14

दिनांक 29-1-2014

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ के पत्रांक रा०शै०/नि०शि०सं०/42299/2013-14 दिनांक 27.01.2014 के साथ संलग्न शासनादेश सं० 102/15-11-2014 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 17.01.2014 द्वारा निजी संस्थान भारत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्लाट/खसरा नं० 565, 566, 567 बरला मुजफ्फरनगर को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसने राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण के नियम, परीक्षाशुल्क अन्य कोई भी चार्ज परीक्षा की समय सारणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थाई अभिलेख होंगे जिन्हे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थाई रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख /अपडेट वेबसाइट पर किया जायेगा।
7. प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06 दिसम्बर 2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद

पू०सं० /शि०स०/सम्बद्धता /

1908-16

/2013-14 तददिनांक

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरनगर।
8. प्रबन्धक/सचिव भारत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्लाट/खसरा नं० 565, 566, 567 बरला मुजफ्फरनगर।
9. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद



प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,  
उप सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,  
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक : 17 जनवरी, 2014 -

विषय- निजी संस्थान भारत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्लाट/खसरा नं0 565, 566, 567 बरला, मुजफ्फरनगर को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान भारत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्लाट/खसरा नं0 565, 566, 567 बरला, मुजफ्फरनगर को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट बेबसाइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)  
उप सचिव।

संख्या- 102 (1)/15-11-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ, मानसरोवर (नियर मानसरोवर स्टेडियम), जयपुर, राजस्थान।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, भारत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्लाट/खसरा नं0 565, 566, 567 बरला, मुजफ्फरनगर।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(अशोक कुमार सिंह)  
उप सचिव।



TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART -III, SECTION 4 /

NRC/NCTE/NRCAPP-1806/213<sup>th</sup> Meeting/2013

141785

Dated:-

19 5 APR 2013

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of section 14(1) of the NCTE Act, 1993 Maulana Azad Educational Society, Plot No.- 132, Street/Road:- Ansari Road, Village/Town/City- Muszaffarnagar, Post Office- Muzaffarnagar, Tehsil/Taluka- Sadar Tehsil, Town/City- Muzaffarnagar, District- Muzaffarnagar, State- UP, Pin Code- 251001 has submitted on application (Code No. NRCAPP-1806) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for conducting D.EL.ED. Course with an annual intake of 50 (Fifty Only) on dated 14.09.2011 in the name of Bharat Educational Institute, Plot/Khasra No.- 565, 566, 567, Street/Road- NH-58, Village- Barla-Bhamawdi (Basera Road), Post Office- Barla, Tehsil/Taluka- Muzaffarnagar, Town/City- Muzaffarnagar, District- Muzaffarnagar, State- Uttar Pradesh, Pin Code- 251307.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal of veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against letter of 7(9), the Northern Regional Committee in its 213<sup>th</sup> Meeting of the NRC held from March 18<sup>th</sup> to 20<sup>th</sup>, 2013, is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the D.EL.ED. Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to Bharat Educational Institute, Plot/Khasra No.- 565, 566, 567, Street/Road- NH-58, Village- Barla-Bhamawdi (Basera Road), Post Office- Barla, Tehsil/Taluka- Muzaffarnagar, Town/City- Muzaffarnagar, District- Muzaffarnagar, State- Uttar Pradesh, Pin Code- 251307 for conduction D.EL.ED. Course of Elementary (Level) of Two Year duration with an annual intake of 50 (Fifty Only) from the academic session 2014-2015 under clause 7(11) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2009 subject to fulfilment of the following conditions:-

- (i) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
- (ii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2009.
- (iii) The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.

4. Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, the State Government etc. as applicable.

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

6. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- (i) Copy of the Application Form
- (ii) Land and Building Particulars
- (iii) Staff Profile
- (iv) Recognition letter
- (v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.



प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,  
उप सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,  
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ, दिनांक 30 सितम्बर, 2016

विषय- निजी संस्थान भारत एजूकेशनल इंस्टीट्यूट प्लॉट न0-565,566,567 बरला, भमावड़ी मुजफ्फरनगर को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निजी संस्थान भारत एजूकेशनल इंस्टीट्यूट प्लॉट न0-565,566,567 बरला, भमावड़ी मुजफ्फरनगर को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से अतिरिक्त एक यूनिट (अतिरिक्त 50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.07.2016 से 29.07.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से अतिरिक्त एक यूनिट (अतिरिक्त 50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)  
उप सचिव।

संख्या- (1) / 15-11-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II एल0आई0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-302005।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरनगर।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, भारत एजूकेशनल इंस्टीट्यूट प्लॉट न0-565,566,567 बरला, भमावड़ी मुजफ्फरनगर।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
(राजेन्द्र सिंह)  
उप सचिव।



कार्यालय: सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आदेश संख्या/सम्बद्धता/

/2016-17

दिनांक 27 अक्टूबर 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 2588/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 30.09.2016 द्वारा निजी संस्थान भारत एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्लॉट नं० 565,566,567 बरला, भमावड़ी मुजफ्फरनगर को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से अतिरिक्त एक यूनिट (अतिरिक्त 50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.07.2016 से 29.07.2016 के कार्यवृत्ति में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से अतिरिक्त एक यूनिट (अतिरिक्त 50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०सं०/सम्बद्धता/ 15235-42 /2016-17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-11, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान-मुजफ्फरनगर।
7. प्रबन्धक/सचिव, भारत एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्लॉट नं० 565,566,567 बरला, भमावड़ी मुजफ्फरनगर
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।



TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART -III, SECTION 4

File No. NRC/NCTE/Recognition/D.El.Ed./2016

142867-3467

Dated:- 3 MAR 2016

**RECOGNITION ORDER**

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for Teacher Education Courses.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institutions mentioned in table below, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against decision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, the Northern Regional Committee in its meeting held from time to time (mentioned against each of the institution) is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms and as per the approval of faculty given by the affiliating bodies.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to the following Institutions for conducting Teacher Education programme with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2016-2017 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below :-

S. No.	File No.	Name of the Institutions	Course	Duration	Approved annual intake	Meeting	Name of Affiliating Body
1.	NRCAPP-15147	Sri Gangaram Bankelal Degree College, Plot No.-45, Street No.-45, Village-Harsinghpur, Post Office-Madaripur, Tehsil/Taluka- Jalaun, Town/City- Jalaun, District-Jalaun-285130, State- Uttar Pradesh	D.El.Ed. (Addl.)	2 Years	50 (1 unit)	250 (Part-8)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
2.	NRCAPP-15485	Babu Mangala Rai Smarak Sansthan, Plot No.-112, Village-Amaura, Post Office-Pandaha, Tehsil /Taluka-Lalganj, Town/City-Azamgarh, District-Azamgarh-276202, State- Uttar Pradesh	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 unit)	250 (Part-9)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
3.	NRCAPP-15107	Dwanika Prasad Balakram Mahavidyalaya, Plot No.- 15,25,26, Village- Bidhuna, Post office- Bidhuna, Tehsil/Taluka- Bidhuna, Town/City- Bidhuna, Distt.- Auraiya-206243, Uttar Pradesh.	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 unit)	250 (Part-9)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
4.	NRCAPP-15536	Shri Sharada Mata Prasad Degree College, Plot No.- 1225, 1226, Village- Mai Kharagpur, Post office- Ubarpur, Tehsil/Taluka- Lalganj, Town/City- Azamgarh, Distt.- Azamgarh, Uttar Pradesh-276202.	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 unit)	250 (Part-9)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
5.	NRCAPP-15143	RMS College, Plot No.- 2680, Village-Kalyanpur, Post office- Kalyanpur, Tehsil/Taluka- Soraon, Town/City- Allahabad, Distt.- Allahabad, Uttar Pradesh-212507	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 unit)	250 (Part-9)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.



143090	225.	NRCAPP-10108	SRS Education Institute, Plot No. 1324, Village - Nidhauri Khurd, Post Office - Nidhauri Khurd, Tehsil - Nidhauri Khurd, Dist. Etah (UP) 207001	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-11	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143091	226.	NRCAPP-10144	Bharat Educational Institute, Plot No. 565, 566, 567, Village - Barla Bhamawdi (Basera Road) Post Office - Barla, Tehsil - Sadar, Dist. - Muzaffarnagar, (UP) 251001	D.El.Ed. Increase In Intake	2 Years	50 (1 Unit)	250-13	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143092	227.	NRCAPP-10179	Shree Krishna Educational Institute, Plot No. 94, Village - Ahmad Nagar, Post Office - Mazlishpur, Via Hussainganj, Tehsil - Sitapur, Dist. - Sitapur (UP) 261125	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-11	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143093	228.	NRCAPP-10187	Modern College of Education, Plot no. 1481, Street - 1481, Village - Kurauni, P.O. - Neewan-Banthra, Tehsil - Sadar, Town - Lucknow, District - Lucknow - 227101, Uttar Pradesh.	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-9	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143094	229.	NRCAPP-10222	Sukhal Singh Mahavidyalaya, Plot No. 519, Village - Pipra Khas, Post Office - Pipra Gautam, Tehsil - Sadar, Dist. - Basti (UP) 272124	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143095	230.	NRCAPP-10223	S S Prasikshan Sansthan, Plot no. 1706, Street no. NA, Village -Nagar Khas, P.O. Nagar Bazar, Tehsil -Sadar, Town-Basti, District -Basti -272302 , Uttar Pradesh	D.El.Ed. Increase in Intake	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143096	231.	NRCAPP-10236	Amarawati Devi Degree College, Plot No. 357, 358 Village - Teki Patti, Post Office - Bihar, Tehsil - Kunda, Dist. - Pratapgarh (UP) 230204	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143097	232.	NRCAPP-10242	Shri Rajendra Singh Mahavidhyalay, Plot No. 226, 227, Village - Bishunpur, PostOffice - Kurawali, Tehsil - Mainpuri, Dist. - Mainpuri, (UP) 205265	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143098	233.	NRCAPP-10272	Maulana Mohammad Ali Johar Higher Education Institute, Plot No. 56 B, Village - Gauspur Rai, Post Office - Kiratpur, Tehsil - Najibabad, Dist. - Bijnor (UP) 246731	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143099	234.	NRCAPP-10294	Pandit Sukhraj Raghunathi Institute of Education And Technology, Plot No. 1970, Village - Ranjeetpur Chilbila, Post Office- Madhoganj, Tehsil - Sadar, Dist. Pratapgarh (UP) 230403	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143100	235.	NRCAPP-10309	Shakuntala Memorial Educational Institute, Plot No. Gata No. -08, Village - Unnais, Psof Office - Chilwaria, Tehsil - Bahraich, Dist. - Bahraich (UP) 271870	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 Unit)	250-12	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
143101	236.	NRCAPP-10329	Rajat Mahila Mahavidyalaya, Plot no. 414 & 416, Street no. 414 & 416, Village -Singhpur Gohila, P.O. - Semranaseerpur, Tehsil Tanda, Town-Ambedkar Nagar, District -Ambedkar Nagar-224143 , Uttar Pradesh	D.El.Ed. Increase In Intake	2 Years	50 (1 Unit)	250-8	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.



13963

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.
6. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-
- Copy of the Application Form
  - Land and Building Particulars
  - Staff Profile
  - Recognition letter
  - Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.
7. In case if the land is in the name of the Society/trust, the land is to be transferred within six months in the name of the institution, failing which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate about the same to the respective Regional Committee along with the new land documents within the stipulated time.
8. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.
9. Further, if the institution is not satisfied with the order, it may prefer an appeal under sections 18 of NCTE Act, 1993 in the "online mode" available on NCTE's website [www.ncte.india.org](http://www.ncte.india.org) within 60 days from the date of this order. The guidelines for filing appeal may be seen on NCTE's website.

By order  
  
 (Dr. S.K. Chaudhary)  
 Regional Director

Encl:- As above

The Manager to Govt. of India,  
 Department of Publications, (Gazette Section)  
 Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

1.	The Principal, of above institutions	
2.	The Principal Secretary, Basic Education, Government of Uttar Pradesh, 2nd Floor, Room No. 15, Sachiv Bhawan, Secretariat, Lucknow-226001, Uttar Pradesh	<i>With a request to ensure compliance of the terms &amp; conditions as laid down above.</i>
3.	The Director, State Council Education for Research & Training (SCERT), UP State Government, JBTC Campus, Nishat Ganj, Lucknow-226007, Uttar Pradesh	<i>With the request to ensure veracity of the NOC &amp; approval of the staff issued to the institution and also ensure that the admission are made by the institutions as per the size of unit and intake mentioned in the recognition /permission order and compliance of other terms and conditions as laid down above.</i>
4.	The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001	
5.	The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.	
6.	Computer Section of NRC, NCTE, Jaipur for upload the same of NRC website.	
7.	Office order file/ Institution file.	

  
 Regional Director